न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 48/2025 दायर तारीख :– 23.05.2025

1. सुरेश कुमार पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी कांकड वाली ढाणी, रामपुरा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. झाबरसिंह पुत्र सुखाराम
2. सुखाराम पुत्र गणेश
3. हिरालाल पुत्र सुखाराम समस्त जाति जाट निवासी कांकड वाली ढाणी , रामपुरा तहसील कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0।
4. उपपंजीयक महोदय, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर
5. तहसीलदार महोदय, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री रामसिंह , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मुकेश बगडिया, विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 3

निर्णय

निर्णय दिनांक 19/9/25

1. यह पत्रावली आज प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी 1 लगायत 3 सयुंक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की पुश्तैनी आराजीयात है जो प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई । प्रार्थी के दादा गणेश के स्वर्गवास पश्चात उक्त आराजीयात गणेश के पुत्रान सुखाराम, चिमनालाल व रूधाराम को प्राप्त हुई है। पुश्तैनी आराजीयात होने के कारण अप्रार्थी –02 के परिवार में जन्म लेते ही बाई बर्थ प्रार्थी के अधिकार के अधिकार उत्पन्न हो गए। इस हेतु प्रार्थी द्वारा घोषणा का दावा किया गया है। यदि इस दौरान अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी के हकों पर नकारात्मक असर पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सतुलंन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए दौराने वाद वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश फरमाया जावे ।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर दिया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया । इस पर अप्रार्थीगण की ओर से वकील मुकेश बगडिया हाजिर हुये एवम् जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता सुखाराम व दत्तक पिता स्व0 चिमनालाल एंव उनके भाई रूधा ने नारायण पुत्र बालू से तत्कालीन समय जमाबन्दी में दर्ज उनके हिस्से की सम्पूर्ण 1/10 भू–भाग से क्रय की जिस पर विक्रय पत्र दिनांक 21.06.1995 को तस्दीक हुआ । इसी प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता सूखाराम व दत्तक पुत्र चिमनलाल एवं उनके भाई रूधा ने किशना पुत्र बालू से तत्कालीन समय जमाबन्दी में दर्ज उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि 1/10 भू–भाग को क्रय की जिस का विक्रय पत्र दिनांक 15.09.1995 को तस्दीक हुआ । इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात जरिए विक्रय पत्र अप्रार्थी 2 व अप्रार्थी–1 के दत्तक पिता को प्राप्त हुई जो पैतृक संपतियों की श्रेणी में नहीं आती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। दौ बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते निवेदन किया की वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है तथा द्वारा संबंध प्रार्थी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वा बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वादग्रस्त पर मौके रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखते हुए अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबं किया जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी आरजीयात नहीं है। अतःप्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाए।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 व सी0पी0सी0 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना आवश्यक है। उक्त सदंर्भ में प्रकरण विश्लेषणानुसार अपेक्षित है।

5. <u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u> प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को पैतृक आराजीयात होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी के दादा गणेश के स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात गणेश के पुत्रान सुखाराम, चिमनालाल व रूघाराम को प्राप्त हुई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त आराजीयात गणेश के पुत्रान द्वारा जरिए विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करने का कथन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात गणेश के पुत्रान द्वारा जरिए विक्रय पत्र क्रय की गई है। प्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होना प्रतीत हो। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के रिकोर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

6. <u>सुविधा का सतुंलनः–</u> प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सयुंक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस तथ्य के खण्डन में अप्रार्थीगण द्वारा अवगत कराया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पृथक–पृथक रूप से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी का उपरोक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर कब्जे का तथ्य प्रार्थना पत्र एंव जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। यह विस्तृत वाद विचारण के समय साक्ष्य से प्रमाणित कर तय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात लम्बे समय से अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है। अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि दर्ज अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है एंव राजस्व रिकोर्ड के आधार पर कब्जे काश्त का प्रश्न तय किया जाता है जिससे हम भी सहमत है इसके साथ ही अभिलिखित खातेदार को आराजीयात का पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग किया जाने का अधिकार प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के अप्रार्थीगण दर्ज अभिलिखित खातेदार है, अतः विधि के सुस्थापित सिद्धान्त से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष प्रतीत होता है।

7. <u>अपूरणीय क्षतिः–</u> यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात को रिकोर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी वादग्रस्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
रेनवाल

आराजीयात के पुश्तैनी आराजीयात होने के आधार पर खातेदारी घोषणा कराए जाने हेतु न्यायालय में उपस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी घोषणा का तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। इस स्थिति में वादग्रस्त आरजीयात के संबंध में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्थिति में अप्रार्थीगण 1–2 जो वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है, को आराजीयात में सुधार व उपयोग –उपभोग की क्षति की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जबकि प्रार्थी को इस संबध में अपूरणीय क्षति होने की संभावना कम प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है।

8. उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति अपने पक्ष में साबित कराए जाने से पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 साबित न होने पर खारिज किया जाता है।
निर्णय दिनांक 19/9/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल सत्यमेव जयते

(सर्वेश शर्मा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल